न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 10/2019

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लवाण

बनाम

1. रमेश पुत्र राधेश्याम
2. महेश पुत्र राधेश्याम
3. बाबूलाल पुत्र राधेश्याम
4. संतोष कुमार पुत्र राधेश्याम

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम गुढाकीरतवास पटवार क्षेत्र रजवास तहसील लवाण जिला दौसा।

रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित।

:–निर्णयः–

दिनांकः 2.8.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील लवाण ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आया किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ना तो जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया ना ही बहस के दौरान उपस्थित रहा। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 4 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि एकीकरण संवत 2018 में ग्राम गुढाकीरतवास तहसील लवाण स्थित भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 0.43 है. जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 में अप्रार्थी रमेश, महेश, बाबूलाल, संतोष कुमार पि0 राधेश्याम कौम ब्राह्मण साकिन रजवास खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। सम्वत 2010–2022 में ग्राम गुढाकीरतवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 199 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 18 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि से खसरा नम्बर 46 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा बना है एवं [illegible] प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041 से 2060 में खसरा नम्बर 46 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा में से खसरा नम्बर 136 रकबा 0.43 है. बना है। नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 17.09.1989 के तहत उक्त भूमि खसरा नम्बर 0.43 है. राधेश्याम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:38 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी रजवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड रही है। आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् उल्लेखित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 10.05.200 से खातेदारी दर्ज हुई। जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 99 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 0.43 है. किस्म खातली के खातेदार राधेश्याम पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदारी की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 07.05.2011 रमेश, महेश, बाबूलाल, संतोष कुमार पि. राधेश्याम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं.1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार लवाण द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अभिभाषक पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम गुढाकीरतवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 189 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 199 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 18 बीघा 15 बिस्वा गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि से खसरा नम्बर 46 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा बना है एवं भू–प्रबन्ध अभिलेख सम्वत 2041 से 2060 में खसरा नम्बर 46 रकबा 19 बीघा 9 बिस्वा में से खसरा नम्बर 136 रकबा 0.43 है. बना है। नामान्तरकरण संख्या 56 दिनांक 17.09.1989 के द्वारा उक्त भूमि खसरा नम्बर 0.43 है. राधेश्याम पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण निवासी रजवास के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड रही है।आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् उल्लेखित भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 162 दिनांक 10.05.200 से खातेदारी दर्ज हुई। जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के खाता संख्या 99 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 0.43 है. किस्म खातली के खातेदार राधेश्याम पुत्र रामसहाय जाति ब्राह्मण साकिन देह खातेदारी की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 379 दिनांक 07.05.2011 रमेश, महेश, बाबूलाल, संतोष कुमार पि. राधेश्याम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नदी दर्ज रिकॉर्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार लवाण को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। [illegible] तहसीलदार लवाण को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:32:38 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.8.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official